

दिनांक 14 फरवरी 2016

सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट का मुकदमा

आदेश पत्रक

उपनाम श्री राजकुमार सिंह

देखे अगिलेख हस्ताक, 1914 का नियम 129 तक जिला धनवाट

आदेश पत्रक का

संख्या

382/16

पृष्ठ 5

28.8.16

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर


अनुक्रमांक

13/48  
20/16  
2/516


पुष्प पक्ष मैतर्न इस्टर्न कोलफिन्ड लिमिटेड मुम्बई शरिया थाना निरता जिला धनवाट के द्वारा समर्पित आदेश पत्र पर उनके विद् अघियन्ता को तना एवं एवं आदेश पत्र का अघ्योक्त किया । आदेश पत्र के अनुसार मौजा राजपुरा मौजा नं 60 खाला नं 129 प्लोट नं 41 रकबा 1.02 एकड़ जिला चौहटी-उत्तर-प्लोट नं-41। प्लोट नं 41। प्लोट नं 41। प्लोट नं 40 एवं 45 पश्चिम रोड इन.स्य गोपालपुरा कोलियरी को लेकर पक्षों के निर्माण कार्य लेकर तनाव है ।

उभय पक्ष दिनांक 6-4-16 को 10.30 बजे उपस्थित होकर कारण पक्ष का दावा करें ठिकी नही धारा 144 ट.पू. स के तहत कार्य वाही प्रारम्भ किया जाय ।

लेखापित एवं शरीफित



अनुमंडल दण्डाधिकारी धनवाट

  
28/8/16  
अनुमंडल दण्डाधिकारी धनवाट